झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)ल०सिं०–दुमका–03 / 2010 .... / राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री सिद्धनाथ शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज द्वारा सिंचाई प्रमण्डल–मुरलीगंज के अन्तर्गत जानकीनगर शाखा नहर के वि०दू०–252.25 पर निर्मित स्केप रेगुलेटर सह पथीय सेतु निर्माण कार्य में बरती गई अनियमिता के आलोक में बिहार सरकार, उड़नदस्ता अंचल जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

2. श्री शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता का अंतिम कैडर झारखण्ड राज्य आवंटित होने के कारण इनके मामले पर निर्णय हेतु मामले से संबंधित संचिका बिहार राज्य से प्राप्त हुई। जिसके आलोक में श्री शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से विभागीय पत्रांक– 2351 दिनांक– 03.08.2010 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई।

3. श्री शर्मा, द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की गहन समीक्षा विभाग स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि श्री शर्मा तत्कालीन कार्यपालक अभियंता संबंधित कार्यस्थल पर घटना के समय पदस्थापित ही नहीं थे। ऐसी स्थिति में इस मामले की समीक्षा कर कथित अनियमितता के लिए कौन दोषी है, इसकी जानकारी की माँग बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग, पटना से की गयी।

4. मामले की पुनः समीक्षा कर बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक– 1971 दिनांक– 08.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिद्धनाथ शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के बचाव बयान से सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज में स्वीकृत आलेख्य की तिथि 30.01.2003 के पूर्व 18.01.2003 तक पदस्थापित होने की पुष्टि होती है, लेकिन उनके बचाव बयान से त्रुटिपूर्ण रूपांकण आंकड़ा प्रेषित किये जाने का मामला नहीं बनता है। बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा श्री शर्मा, ततकालीन कार्यपालक अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार किये जाने का मंतव्य दिया गया।

5. श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री शर्मा के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इन्हें आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 4687 .... राँची / दिनांक 05.11.18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज / उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री सिद्धनाथ शर्मा, तदेन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, पता– बी०–189 पुलिस कॉलोनी अनीशाबाद पटना, पिन कोड– 800002 / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/11/2018
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव